पत्रावली संख्या- III-214

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2017/ III-214/ 952
दिनांकः 19/1/17

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश
सेवा में,

M/s Great Value Projects India Ltd.
DSC-319, DLF, South Court, Saket
New Delhi-110017

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2015 के संदर्भ में आपके द्वारा बढ़े हुए क्षेत्रफल के आवंटन के साथ पुर्नरिक्षित भवन मानचित्र ग्रुप हाऊसिंग **जी.एच.02, सेक्टर-107, नौएडा** पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न ही किया जायेगा ।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे । वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।

11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा ।

12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुर्नजीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैद्यता, पट्टे की वैद्यता तिथि तक समझा जायेगा ।

13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।

15. सन्दभति योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नही किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइडीलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी एवं भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूजल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भूजल संरक्षण एवं इसके उपयोग तथा उसके निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन करना होगा ।

16. आवंटी संस्था को पर्यावरण विभाग एवं प्रदूषण विभाग से पुर्नरिक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृति उपरान्त 30 दिनों के अन्दर विभाग में जमा कराना होगा अन्यथा स्वीकृत भवन मानचित्र निरस्त माने जायेगें ।

17. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा - निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा ।

18. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375, वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यदायी संस्था बाध्य है । यह स्वीकृति पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है ।

19. हरित क्षेत्र/वृक्षारोपण, भू-जलदोहन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, भूमि खुदाई, पर्यावणीय प्रभाव के अन्य प्रावधानों आदि के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी/अभिकरण/न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के अधीन ही क्रय योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य होगा ।

20. अन्य प्रावधान उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम-1976/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली-2010/शासन के आदेश/निर्देशों(अध्यावधिक एवं यथा संशोधित) के अनुसार लागू होगें ।

21. आंवटी संस्था उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010 के सभी प्राविधानों हेतु बाध्य है तथा आवंटी संस्था को संशोधित घोषणा पत्र नियमानुसार निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करना होगा ।

22. अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के समय मौके पर मेकेनिकल पार्किंग का प्राविधान होना अनिवार्य है । स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

- पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल = 72,957.60 वर्ग मी0
- वर्तमान में आवंटित बढे हुए क्षे0 के साथ भूखण्ड का क्षेत्रफल = 81213.25 वर्ग मी0

- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75 = 2,23,336.44 वर्ग मी0
- स्वीकृत एफ0ए0आर0 = 2,00,112.00 वर्ग मी0
- प्रस्तावित एफ0ए0आर0 = 1,81,051.389(2.23%)
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @40% = 32,485.30
- अनुमन्य ऊँचाई = कोई सीमा नहीं
- अनुमन्य सेटबैक अग्र 25.0 मी0 व अन्य तीनों साइट 9.0 मी0

आंवटी संस्था द्वारा आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के आधार पर स्थल का संयुक्त रूप से सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं निर्मित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार हैः-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	स्वीकृत क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पुर्नरीक्षित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी0)
भूतल	32485.30	10620.998	9,990.055
प्रथम तल		10218.898	8860.822
द्वितीय तल	शेष एफ.ए.आर.	8763.697	8110.578
तृतीय तल		8729.437	8076.316
चर्तुथ तल		8667.184	8014.063
पंचम तल		8639.19	7986.070
छटवां तल		8604.931	7951.810
सातवां तल		8555.507	7902.386
आठवां तल		8555.507	7902.386
नौवा तल		8555.507	7902.386
दसवां तल		8555.507	7902.386
ग्यारहवां तल		8555.507	7902.386
बारवां तल		8555.507	7902.386
तेरहवां तल		8555.507	7902.386
चौदहवां तल		8396.503	7902.386
पन्द्रहवां तल		8396.503	7902.386
सौलहवा तल		8396.503	7902.386
सत्रहवां तल		8396.503	7902.386
अटठारवां तल		8396.503	7902.386
उन्नीसवां तल		8396.503	7902.386
बीसवां तल		8257.875	7902.386
इक्कीसवां तल		7994.295	7902.386

बासीइवां तल		934.791	440.674
तेईसवां तल		934.791	440.674
चौबीसवां तल		934.791	440.674
पच्चीसवां तल		934.791	440.674
छब्बीसवां तल		934.791	440.674
सत्ताईसवां तल		934.791	440.674
अठाईसवां तल		934.791	440.674
उन्नतीसवा तल		934.791	440.674
तीसवां तल		934.791	-
इक्कतीसवा तल		934.791	-
कुल एफ0ए0आर0	**2,23,336.44**	**2,00,112.00**	**1,81,051.389**
बेसमेंट	**सैट बैक छोड़े जाने के पश्चात बचा शेष क्षेत्रफल**	**52907.15**	**53395.874**
सेवा क्षेत्रफल(15%)	**33,500.465**	**21982.09**	**18,547.48**

कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.+तहखाना+सेवा क्षेत्रफल)	=2,00,112+52907.15+21982.09 = 2,75,001.205
वर्तमान में पुर्नरिक्षित क्षेत्रफल (एफ.ए.आर.+तहखाना+सेवा क्षेत्रफल)	=1,81,051.389+53395.874+18,547.48 =2,52,994.743

सैटबेक विवरणः-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	स्वीकृत (मी0)	पुर्नरिक्षित (मी0)
		भवन	भवन
अग्र	25.0	25.000	25.00
पृष्ठ	9.0	9.00	9.00
बाई साइड	9.0	9.00	9.00
दाई साइड	9.0	9.00	9.00

Map for proposed Building is as per Bye Laws submitted for approval Please.

Pl. Asstt. Asstt. Arch Architect

नाम ....

पद .... प्रवीण
मुख्य वास्तुविद् नियोजक
नौएडा

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक(ग्रुप हाऊसिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

[REVISED PLAN] पत्रावली संख्या - III - 214

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/III - 214/.559

दिनांकः 14-9-12

सेवा में,

मैसर्स ग्रेटवैल्यू प्रोजैक्ट इण्डिया लिमिटेड,
58ए/4, सैनिक फार्म्स (एस0पी0सी0)
नई दिल्ली - 110062.

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक **22.09.2011** के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन निर्माण की **भूखण्ड संख्या जीएच - 02, सैक्टर - 107, नौएडा** पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा ।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।

14 आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।

15. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंग्न है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल 72,957.60 वर्ग मी0
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% 29,183.04 वर्ग मी0
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75 2,00,633.40 वर्ग मी0

विभिन्न तलों पर किये गये पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पूर्व स्वीकृत क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी0)	पुर्नरीक्षित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्गमी0)
भूतल/स्टिल्ट	29,183.04	7645.187	10620.998
प्रथम तल		6954.822	10218.898
द्वितीय तल		6554,822	8763.697
तृतीय तल		6554.822	8729.437
चर्तुथ तल		6554.822	8667.184
पंचम तल		6554.822	8639.190
छटवां तल		6554.822	8604.931
सातवां तल		6554.822	8555.507
आंठवां तल		6554.822	8555.507
नौवा तल		6554.822	8555.507
दसवां तल	शेष एफ0ए0आर0	6554.822	8555.507
ग्यारहवां तल		6554.822	8555.507
बारवां तल		6554.822	8555.507
तेरहवां तल		6554.822	8555.507
चौदहवां तल		6554.822	8396.503
पन्द्रहवां तल		6554.822	8396.503
सोलहवां तल		6554.822	8396.503
सत्रहवां तल		6554.822	8396.503
अट्ठारवां तल		6554.822	8396.503
उन्नीसवां तल		5812.392	8396.503
बीसवां तल		4708.010	8257.875
इक्कीसवां तल		1214.290	7994.295
बाइसवां तल		....	934.791
तेइसवां तल		....	934.791
चौबीसवां तल		....	934.791
पच्चीसवां तल		....	934.791

छब्बीसवांत तल		....	934.791
सत्ताईसवां तल		....	934.791
अटठाइसवां तल		....	934.791
उन्नसीसवां तल		....	934.791
तीसवां तल		....	934.791
इकतीसवां तल		....	934.791
कुल एफ०ए०आर०		1,37,766.675	2,00,112.000
तहखाना	सेटबैक छोडने के पश्चात शेष क्षेत्रफल (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	52,091.470	52,907.15
सेवा क्षेत्रफल	30,095.01	...	21,982.09
पूर्व में स्वीकृत कुल क्षेत्रफल (सेवा एवं तहखाना सहित)	= 1,37,766.675 + 52,091.470 = 1,90,668.145 वर्ग मीटर		
कुल पुनरीक्षित क्षेत्रफल (सेवा एवं तहखाना सहित)	= 2,00,112.000 + 52,907.15 + 21,982.09 = 2,75,001.205 वर्ग मीटर		

- कुल पुनरीक्षित भू-आच्छादित क्षेत्रफल = 10,530.998 वर्ग मी0 (14.44 %)
- पुनरीक्षित एफ0ए0आर0 = 2,00,112.00 वर्ग मी0 (2.743)

Map for proposed Building is per Bye Laws. Submitted for approval please.

Pl. Asstt. Asstt. Arch. Architect

नाम.....................

पद.....................

नोएडा

वी॰ ऐ॰ देवपुजारी

मुख्य वास्तुविद नियोजक

प्रतिलिपिः

- उप0 महाप्रबन्धक (ग्रुप हा0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

पत्रावली संख्या -बी0पी0-214

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/नि0वि0-III-214/.294
दिनांकः 19/10/10

सेवा में,

मैसर्स ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड
58ए/4, सैनिक फार्म्स(एस0पी0सी0)
नई दिल्ली-110062

आपके प्रार्थना पत्र **दिनांक 22.09.10** के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित **ग्रुप हाऊसिंग** भवन निर्माण की भूखण्ड **संख्या-जी0एच0-02, सेक्टर-107, नोएडा** पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **दो वर्ष** (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा ।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा ।
5. दरवाजे व खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
6. विजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा ।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा ।
10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे । वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा ।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र कीच वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा ।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।
14 आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
15. स्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ मे प्रस्तुत करना अनिवार्य है । तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य

आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

16 प्रस्तुत मानचित्र भवन की 30.0 मी0 ऊँचाई तक के लिए स्वीकृत किये जाते है ।

17 प्रस्तावित भवनों की प्रस्तावित ऊँचाई के सम्बन्ध में एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर मानचित्रों में उल्लेखित शर्त को निरस्त किया जायेगा तथा संशोधित पत्र एवं मानचित्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निर्गत किये जायेगें ।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

भूखण्ड का क्षेत्रफल **72957.60 वर्ग मीटर**

अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40% **29183.04 वर्ग मीटर**

अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 2.75 **2,00,633.40 वर्ग मीटर**

विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	प्रस्तावित क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी0)
भूतल	29183.04	7645.187
प्रथम तल		6954.822
द्वितीय तल		6554.822
तृतीय तल		6554.822
चतुर्थ तल		6554.822
पंचम तल		6554.822
छटवां तल		6554.822
सातवां तल		6554.822
आठवां तल		6554.822
नौवा तल		6554.822
दसवां तल		6554.822
ग्यारहवां तल		6554.822
बारवां तल		6554.822
तेरहवा तल		6554.822
चौदहवां तल		6554.822
पन्द्रहवां तल		6554.822
सोलहवां तल		6554.822
सत्रहवां तल		6554.822
अट्ठारहवां तल		6554.822
उन्नीसवां तल		5812.392
बीसवां तल		4708.01
छत तल/ममटी		1214.29
कुल एफ.ए.आर.	2,00,633.40	1,37,766.675
तहखाना	सैट बैक छोडने के पश्चात शेष	52091.47

	क्षेत्रफल(पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (तहखाना सहित)	1,37,766.675+52,091.47= 1,90,668.145	

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 8073.40 वर्ग मीटर(15.92 प्रतिशत)
प्रस्तावित एफ.ए.आर. = 137766.75 वर्ग मी0(1.888)

Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for approval please.

Pl. Asstt. Asstt. Arch. Architect

नाम 19/10/10
पद ....
नोएडा
राजपाल कौशिक
वरिष्ठ नगर नियोजक
नोएडा

प्रतिलिपिः

1. महा प्रबन्धक (ग्रुप हाऊसिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. सेकेट्री
स्टेट लेवल एन्वारमेन्ट इम्पेक्ट एसिसमेंट अथोरिटी, उ0प्र0
डायरेक्टरेटे ऑफ एनवायरमेन्ट,
डॉ0 भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड-1
गोमती नगर, लखनऊ-226010, उ0प्र0
को सादर सूचनार्थ ।